# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

## राजस्व अपील संख्या 9/2016

1 दयाल पुत्र लक्ष्मण (मृतक) जरिये वारिसान :–
1/1 घीसी बेवा दयाल
1/2 सुखपाल पुत्र दयाल
1/3 महावीर पुत्र परसराम पुत्र दयाल
1/4 सोहनी पुत्री परसराम पुत्र दयाल
1/5 लाडा पुत्री परसराम पुत्र दयाल
1/6 पूसा पुत्र दयाल
1/7 रामकरण पुत्र दयाल (मृतक) जरिये वारिसान :–
1/7/1 लालचंद पुत्र रामकरण पुत्र दयाल
1/8 गोपाल पुत्र दयाल
1/9 ऊंकार पुत्र दयाल (मृतक) जरिये वारिसान
1/9/1 नौसर बैवा ऊंकार
1/9/2 सुरज्ञान पुत्री ऊंकार
1/9/3 नेमीचंद पुत्र ऊंकार
1/9/4 विष्णु पुत्र ऊंकार
1/9/5 किशना पुत्र ऊंकार
1/9/6 रेखा पुत्री ऊंकार
1/9/7 सुनिता पुत्री ऊंकार
1/10 पप्पू पुत्र दयाल
1/11 घेवर पुत्र दयाल
1/12 सुगनी पुत्री दयाल
1/13 पतासी पुत्री दयाल
1/14 नौरती पुत्री दयाल
1/15 कमला पुत्री दयाल
समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र हरदीन कुम्हार
2. नौरत पुत्र मोहन कुम्हार
3. मिटठू पुत्र मोहन कुम्हार
4. लाला पुत्र मोहन कुम्हार
5. पन्ना पुत्र हरदीन कुम्हार
   समस्त निवासी ग्राम माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

**अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थितः— 1 श्री हगामीलाल चौधरी — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शिव प्रकाश चौधरी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

**आदेश** दिनांक — 27.06.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम माकड़वाली तहसील अजमेर के नामान्तरकरण संख्या 353 दिनांक 02.12.2000 से रूष्ट होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

अपील subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों. को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोन्डेन्ट नंबर 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते धारा—5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष के निवेदन पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांन्ट नें सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया की सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी द्वारा किये गये आदेश दिनांक 18.11.91 के विरूद्ध नियमित अपील व निगरानी राजस्व मण्डल में जैरकार होकर राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 8.4.2003 को निगरानी स्वीकर कर भू—प्रबन्ध आयुक्त जयपुर का निर्णय निरस्त कर दिया गया। दिनांक 25.1.2016 को रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अपने नाम खातेदारी दर्ज होने एवं आराजी को बैचान करने की कहने पर प्रार्थी ने जमाबंदी व नामान्तकरण की नकल हेतु आवेदन करने पर जानकारी हुई कि उक्त आराजी में रेस्पोडेन्ट का नाम बतौर सह खातेदार दर्ज कर दिया उक्त नामान्तकरण की नकल दिनांक 1.02.2016 को प्राप्त होने पर अभिभाषक से सलाह व फीस खर्चा आदि की व्यवस्था कर यह अपील पेश की गई है। न्यायहित में दिनांक 2.12.2000 से 25.1.2016 तक का समय जानकारी के अभाव में एवं तत्पश्चात नकल आदि लेने अपील के खर्चा आदि की व्यवस्था व अभिभाषक से सलाह आदि कर यह अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत की जा रही है जिसे न्यायहित में मियाद अवधि में छुट दिया जाना न्यायोचित है। विवादित आजियात अपीलांट की खातेदारी की भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व अधिकार आधिपत्य नहीं है जो अधिकार अभिलेख जमाबंदी संख्या 2041 की प्रविष्ठियो से एवं खेसरा गिरदावरी संख्या 2012 से लगातार की गयी प्रविष्टियो से प्रथम दृष्टया साबित है। उपरोक्त राजस्व अभिलेख जांच नहीं कर अभिलेख की प्रविष्टियो को व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तकरण स्वीकृति का कारण सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी अजमेर की पत्रावली संख्या 138/91 निर्णय दिनांक 18.11.91 व न्यायालय भू—प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर की अपील संख्या 43/93 दिनांक 8.8.2000 अनुसार नामान्तकरण भरे गये है जबकि उक्त विधिक प्रकिया पक्षकारान के मध्य अपील/निगरानी के माध्यम से लगातार

जिला कलक्टर
अजमेर

जारी रही और भू–प्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी याचिका एल0आर0एक्ट संख्या 55/2000/अजमेर विचाराधीन होकर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त निगरानी दिनांक 8.4.2003 को स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबन्ध आयुक्त जयपुर का निर्णय 8.8.2000 अपास्त निरस्त किया जाकर राजस्व अभिलेख में उक्त नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील गुणावगुण पर सुनी जावें।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस में निवेदन किया गया कि विवादित नामान्तकरण सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी अजमेर की पत्रावली संख्या 138/91 निर्णय दिनांक 18.11.91 व न्यायालय प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर की अपील संख्या 43/93 दिनांक निर्णय 8.8.2000 की पालना में स्वीकृत किया गया है। अपीलांट ने अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के पैरा संख्या 2 में अंकित किया गया कि भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा किये गये आदेश दिनांक 18.11.91 के विरूद्ध नियमित अपील व निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जो दिनांक 8.4.2003 को स्वीकार कर भू–प्रबन्ध आयुक्त जयपुर का निर्णय निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेशो की जानकारी अपीलांट को रही है अपीलार्थीगण ने उक्त अपील लगभग 16 वर्ष भारी मियाद बाद प्रस्तुत की है जो कानून मियाद बाहर होने से पोषणीय नहीं है। धारा 5 मियाद अधिनियम के अनुसरण में बताये गये कारण सदभाविक नहीं है। अपीलार्थीगण का प्रश्नगत सम्पति पर किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः इस परिप्रेक्ष में भी अपीलार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने की वजह से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण को उपरोक्त प्रकार की समस्त विधिक प्रकियाओं एवं तथ्यों की भली भॉति जानकारी होने के बावजूद गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपीलार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में चलने योग्य नहीं होने की वजह से खारिज फरमाया जावे तद्नुसार अपील भी खारिज फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण ने नामान्तकरण संख्या 353 दिनांक 02.12.2000 के विरूद्ध जो अपील पेश की गयी है वह मियाद बाहर है, अपील देरी से पेश करने का कारण सद्भाविक नहीं लगता। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील अपीलांटगण इसी स्तर पर खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील के साथ अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी मद संख्या 2 में स्वयं अपीलांट द्वारा उक्त विवादित नामान्तकरण के सन्दर्भ में सहायक भू–प्रबन्ध द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.91 के विरूद्ध नियमित अपील व निगरानी राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 8.4.2003 को उक्त निगरानी स्वीकार कर भू–प्रबन्ध आयुक्त जयपुर का कथित निर्णय निरस्त होने के सम्बन्ध में धारा 5 में वर्णित तथ्यो के मध्यनजर स्पष्ट विदित है कि प्रार्थी अपीलांन्ट को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन निगरानी 8.4.2003 को स्वीकार हुई जिसके बावजूद भी प्रार्थी–अपीलांन्ट द्वारा तत्समय किसी प्रकार की विवादित नामान्तकरण के सन्दर्भ में कोई चाराजोही नहीं की गई तथा वर्ष 2016 में हस्तगत अपील भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई हैं।

जिला कलक्टर
अजमेर

चूंकि नामान्तरकरण एक समरी कार्यवाही है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण के 16 वर्ष के विलम्ब के लिये कोई उचित व ठोस कारण प्रदर्शित नहीं किया गया हैं। उपरोक्त परिपेक्ष्य में भी अपीलार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद बाहर होने की वजह से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण अनुसार मूल अपील के साथ संलग्न धारा–5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
अजमेर